अष्टादश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–03 बुधवार, दिनांक–22 जुलाई, 2026 ई०।

माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अप० तक।

[1] अनौपचारिक चर्चा :–

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही माननीय सदस्य, श्री बैद्यनाथ प्रसाद द्वारा माननीय नेता विरोधी दल के सदन से लगातार अनुपस्थित रहने पर चिंता जताई गई।

तत्पश्चात् विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा राज्य में अल्प वर्षा से किसानों को हो रहे नुकसान पर अपना पक्ष रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने हेतु किये जा रहे सरकार के प्रयासों से सदन को अवगत कराया गया।

[2] प्रश्नकाल :–

i. 06 अल्प सूचित प्रश्न उत्तरित।
ii. 07 अल्प सूचित प्रश्न अनागत।
iii. 15 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
iv. तारांकित प्रश्न संख्या–162 पर्यटन विभाग में स्थानांतरित।
v. तारांकित प्रश्न संख्या–170 जल संसाधन विभाग में स्थानांतरित।
vi. 170 तारांकित प्रश्न अनागत।

[3] अन्य चर्चा :–

(i) माननीय सदस्य, श्री बिजय सिंह द्वारा माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग से उनके क्षेत्र में गंगा–कोसी के पानी से हो रहे कटाव की समस्या पर अग्रतर कारवाई करने का अनुरोध किया गया।

(ii) माननीय सदस्य, श्री बिनोद नारायण झा द्वारा टी.एस. चाणक्या महाविद्यालय, नवी मुंबई में बिहार के छात्र की हुई असामयिक मृत्यु पर सरकार से संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया।

[4] कार्यस्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार, श्री अखतरूल ईमान, श्री रणविजय साहू, श्री कुमार सर्वजीत, श्री अजय कुमार, श्री गौतम कृष्ण, श्रीमती करिश्मा, श्री शंकर प्रसाद, श्रीमती सावित्री देवी तथा श्री अरूण सिंह एवं श्री संदीप सौरभ द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी।

[5] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

1. माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल द्वारा "कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार राज्य जल विद्युत निगम के वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक एव

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2020–21'' के वार्षिक प्रतिवेदनो की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

2. माननीय सभापति, शून्यकाल समिति, श्री माधव आनंद द्वारा समिति का 107वाँ, 108वाँ एवं 109वाँ प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[6] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अंतर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(i)	श्रीमती छोटी कुमारी	(ii)	श्री जिवेश कुमार
(iii)	श्रीमती संगीता देवी	(iv)	श्री कुंदन कुमार
(v)	श्री दुलाल चंद गोस्वामी	(vi)	श्रीमती कोमल सिंह
(vii)	श्री रितुराज कुमार	(viii)	श्रीमती बिनीता मेहता
(ix)	श्री रूहेल रंजन	(x)	श्री विजय कुमार खेमका
(xi)	श्री राणा रणधीर	(xii)	श्री विमल राजवंशी
(xiii)	श्री तारकिशोर प्रसाद	(xiv)	श्री गौतम कृष्ण
(xv)	श्री राकेश रंजन	(xvi)	श्री उदय कुमार सिंह
(xvii)	श्री रोमित कुमार	(xviii)	श्रीमती अनीता
(xix)	श्री राहुल कुमार सिंह	(xx)	श्री आनन्द मिश्रा
(xxi)	श्री बैद्यनाथ प्रसाद	(xxii)	श्री गुलाम सरवर

आसन द्वारा शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माने जाने तथा उन्हें शून्यकाल समिति के सुपुर्द किये जाने की घोषणा की गयी।

[7] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

(i) माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत द्वारा कृषि विभाग से संबधित ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

''आसन द्वारा इस संदर्भ में सभी माननीय सदस्यों से जैविक एवं प्राकृतिक खेती से जुड़ने का अनुरोध किया गया।''

(ii) माननीय सदस्य, श्री मंजीत कुमार सिंह, श्री माधव आनंद एवं अन्य तेरह सभासदों का गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री मंजीत कुमार सिंह द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, श्री संजय कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

''आसन द्वारा इस विषय पर एक सप्ताह के अंदर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश माननीय मंत्री को दिया गया।''

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02:00 बजे अपराह्न से 04:15 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[8] विधायी कार्य :– राजकीय विधेयक

(i) **''बिहार नगर विकास विधेयक, 2026''**

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री नीतीश मिश्रा द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल ईमान का खंड–3 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **''बिहार नगर विकास विधेयक, 2026''** सर्वसम्मति से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

(ii) **''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026''**

माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, श्री संजय सिंह 'टाईगर' द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि बिहार राज्य से लाखों बच्चे उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्य के निजी विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि बिहार में निजी विश्वविद्यालय खुले और बिहार के बच्चों को बिहार में रहकर बिहार में पढ़ने का अवसर मिले।

तदुपरान्त **"बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(iii) **"बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन मे पुरःस्थापित्त किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री राहुल कुमार का नाम जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, परन्तु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(iv) **"भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्री मदन सहनी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के खंड–3 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(v) **"निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्री मदन सहनी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम मे सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि किसान अपनी इच्छा से अपनी भूमि का वर्गीकरण कर सकते हैं। किसान अपने कृषि योग्य भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिए उस आधार पर बिक्री कर सकते हैं। इससे किसानों को कोई हानि नहीं होगी।

तदुपरान्त **"निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(vi) **"बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, सुश्री श्रेयसी सिंह द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(vii) **"बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, श्री दीपक प्रकाश द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के खंड–2 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(viii) **"बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026"**

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(ix) **"बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026"**

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के खंड–4 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(x) **"बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, श्री संजय सिंह 'टाईगर' द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त "**बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026**" सदन से स्वीकृत हुआ।

(xi) **"डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कम्प्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्रीमती शीला कुमारी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त "**डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कम्प्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026**" सदन से स्वीकृत हुआ।

(xii) **"बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्रीमती शीला कुमारी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार का नाम जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, परन्तु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त "**बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026**" सदन से स्वीकृत हुआ।

(xiii) **"शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्रीमती शीला कुमारी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडश विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त "**शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026**" सदन से स्वीकृत हुआ।

[9] अन्य चर्चा :–

आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री विनय बिहारी एवं श्री प्रमोद कुमार द्वारा उनके साथ हुई घटना पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया। आसन द्वारा कहा गया कि सरकार इन सभी बातों को देखेगी और कार्रवाई करेगी।

[10] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 73 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक–23 जुलाई, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–22.07.2026

पूनम सिन्हा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।